

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
पत्रांक-वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/संशोधन/ 1072 /2025, लखनऊ:जुलाई, 25, 2025
:-संशोधित आदेश:-

मुख्यालय के आदेश संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/1070/2025 दिनांक 24.07.2025 द्वारा माह सितम्बर-2025 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निर्गत किया गया है। उक्त माह की युगल पीठ में सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-बरेली में दिनांक 08.09.2025 से दिनांक 11.09.2025 तक सदस्य पीठ-बरेली तथा सदस्य पीठ-मुरादाबाद की खंडपीठ गठित की गयी है।

अतः उक्त खंडपीठ में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 08.09.2025 से दिनांक 11.09.2025 तक गठित खंड पीठ के स्थान पर दिनांक 15.09.2025 से दिनांक 18.09.2025 तक सदस्य पीठ-बरेली व सदस्य पीठ मुरादाबाद की खंडपीठ गठित की जाती है।

शेष स्थिति यथावत रहेगी।

ह0/25.07.2025

(रमेश चन्द-प्रथम)

एच0जे0एस10

अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-बरेली।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-मुरादाबाद।
- 3- मुन्सरिम/पेशकार/व0सहायक (यात्रा-भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 4- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से


(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।